भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2100
उत्तर देने की तारीख 09 दिसंबर, 2024
18 अग्रहायण, 1946 (शक)

राष्ट्रीय खेल संहिता का उल्लंघन

2100. सुश्री एस. जोतिमणि:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न खेल महासंघों द्वारा राष्ट्रीय खेल संहिता के उल्लंघन का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का महासंघों द्वारा निधियों के दुरुपयोग के मामलों की जांच के लिए एक समिति गठित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इसका गठन कब तक होने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) और (ख) : भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011 ('खेल संहिता') युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का समामेलन है तथा यह एक डायनेमिक दस्तावेज है। खेल संहिता के प्रावधानों का पालन एक निरंतर और सतत अभ्यास है तथा मंत्रालय राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) द्वारा खेल संहिता के प्रावधानों के पालन के संबंध में उनकी निरंतर निगरानी करता है। मंत्रालय यह सुनिश्चित करता है कि मान्यता प्राप्त एनएसएफ मूलभूत एवं प्रमुख सिद्धांतों का पालन करें, जैसे कि एनएसएफ के पदाधिकारियों के संबंध में आयु एवं कार्यकाल संबंधी प्रतिबंध, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव कराना, एथलीटों के हितों की सुरक्षा आदि। सरकार एनएसएफ द्वारा खेल संहिता के प्रावधानों के पालन पर जोर देती है ताकि वर्ष-दर-वर्ष आधार पर उनकी मान्यता बनी रहे। जहां भी ऐसा कोई उल्लंघन पाया जाता है, वहां निलंबन, वार्षिक मान्यता का नवीनीकरण न करने तथा मान्यता वापस लेने सहित आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

(ग) से (च) : जी नहीं। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुदान का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाए जिसके लिए उन्हें स्वीकृत किया गया है, एनएसएफ से उपयोग प्रमाण पत्र और लेखापरीक्षित खाते लिए जाते हैं। इसके अलावा, 1.00 करोड़ रुपये और उससे अधिक का अनुदान प्राप्त करने वाले एनएसएफ भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन हैं।

****